अध्ययन किए जाते हैं । बाल श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का आकलन करने के उद्देश्य से 1991 की जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण अभी आना है ।

Complaints against Purolator India Ltd.

3342. SHRI N. GIRIPRASAD : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of complaints/cases are lying in the various labour courts regarding harassment of employees by the management of M/s. Purolator India Limited, New Delhi ;

(b) if so, what are the details thereof and the action Government propose to take against the said company to remedy the situation;

(c) whether it is also a fact that the management of the Co. through pressure asks its staff to resign on flimsy grounds to avoid non-payment of terminal benefits to them; and

(d) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (d) According to the information furnished by the Government of National Capital Territory of Delhi, 21 Industrial Disputes between the management of M/s Purolator India Ltd. and its workmen are pending in various Industrial Tribunals/Labour Courts in Delhi. The matter being subjudice, any further action can be initiated only after the decision of the Industrial Tribunals/Labour Courts.

विक्रय प्रोन्नति कर्मचारियों का शोषण

3343. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विक्रय प्रोन्नति कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम 1976 की उपधारा 2घ (1) और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(घ) में उचित तालमेल न होने के कारण औषध एवं उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षकों का शोषण हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी और इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(घ) के अंतर्गत "कामगार" के रूप में परिभाषित है भले ही उनका वेतन कितना ही क्यों न हो, जबकि औषध एवं उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षकों के लिए इस संबंध में 1600 रुपए के वेतन की सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विक्रय प्रोन्नति कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम 1976 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में समुचित संशोधन करके पर्यवेक्षकों के लिए 1600 रुपए प्रतिमाह की निर्धारित सीमा को पूर्णतः समाप्त करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 की धारा 2 (घ) के अंतर्गत "विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी" की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ड) के अंतर्गत "कर्मकार" की परिभाषा पर आधारित है और इसमें मुख्यतः प्रबंधन अथवा प्रशासकीय हैसियत के रूप में नियोजित व्यक्ति (ली गई मजदूरी को ध्यान में रखे बिना) तथा पर्यवेक्षी हैसियत पर नियोजित व्यक्ति और 1600/- रुपए प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले शामिल नहीं हैं । इस प्रकार, उपरोक्त दो अधिनियमों में वर्णित कर्मकार/कर्मचारियों और प्रबंधकों/पर्यवेक्षकों की परिभाषा में कोई विरोधाभास नहीं है ।